प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.08.2026

स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन व थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 पीली धातु की टिकिया , 02 अवैध तमंचे, 03 जिंदा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 18/19.08.2026 को स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन व थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत मोरटी तिराहे के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक स्प्लेंडर बाइक बिना नंबर प्लेट पर सवार दो व्यक्ति मिग्सन कट की तरफ से आते दिखाई दिए जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी जिन्हें घायल अवस्था उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा हैं। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

पूछताछ का विवरण-
पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम आरिफ पुत्र अहमद हसन निवासी सी -457/2 थर्ड फ्लोर खसरा नंबर 344 गली नं 6 ओल्ड मुस्तफाबाद नई दिल्ली हाल पता ग्राम रसूलपुर धौलड़ी थाना जानी मेरठ उम्र 28 वर्ष थाना तथा दूसरे ने अपना नाम जुबैर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम रसूलपुर थाना जानी मेरठ उम्र 24 वर्ष बताया। दोनों के ऊपर एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व स्नैचिंग के लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-
02 पीली धातु की टिकिया, 02 तमंचा, 03 जिंदा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर बिना नंबर प्लेट साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1. आरिफ पुत्र अहमद हसन निवासी सी -457/2 थर्ड फ्लोर खसरा नंबर 344 गली नं 6 ओल्ड मुस्तफाबाद नई दिल्ली हाल पता ग्राम रसूलपुर धौलड़ी थाना जानी मेरठ उम्र 28 वर्ष
2. जुबैर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम रसूलपुर थाना जानी मेरठ उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध लूट स्नेचिंग आदि से संबंधित लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट एवं सर्विलांस टीम नगर जोन व थाना नंदग्राम पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 लूटेरे गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, दो 315 बोर के तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस तथा दिनांक 28-07-2026 को लूटा गया लैपटॉप तथा कुछ अन्य कागजात बरामद।

दिनांक 19-08-2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र भोजपुर में रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति मोदीनगर से भोजपुर की साइड जाते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो एक दाहिने साइड को जाती हुई सड़क पर उन्होंने भागने का प्रयास किया। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल गिर पड़ी। पुलिस द्वारा पीछा किया तो इस दौरान उनके द्वारा खेत में भागते समय पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। पुलिस द्वारा तत्काल दोनों को पकड़ लिया गया तथा घायल अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम सागर खान, जो कि दिल्ली का निवासी है तथा शिवम उर्फ डमरू जो कि नोएडा का निवासी है, बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 28-07-2026 को परतापुर से नोएडा जाते समय एक व्यक्ति के साथ इनके तथा इनके कुछ अन्य साथियों के द्वारा एक कार से लूटपाट की गई थी, जिसमें उक्त व्यक्ति का लैपटॉप, कुछ रुपये तथा उनका प्राइवेट पहचान पत्र आदि भी थे। अभियुक्तों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, दो 315 बोर के तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस, दिनांक 28-07-2026 को लूटा गया लैपटॉप तथा उक्त व्यक्ति के कुछ अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

थाना साहिबाबाद पुलिस की टीम द्वारा शादी का झांसा/आत्महत्या करने हेतु उकसाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का विवरणः- दिनांक 18.08.2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार मुखिया पुत्र स्व0अर्जुन सिह निवासी नूरपुर थाना मसूरी जिला गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर दी वादी की पुत्री उम्र करीब 37 वर्ष (है0का0 दिल्ली पुलिस) को शादी का झांसा देकर शारीरिक व मानसिक उत्पीडन करना जिससे परेशान होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में तहरीर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा बनाम नामजद अभियुक्त है0का0 सचिन कुमार(दिल्ली पुलिस) पुत्र राजकुमार नि0 6 सिकरनी लोनी देहात लोनी गाजियाबाद के विरूद्ध धारा 69/108 बीएनएस पंजीकृत किया ।

आज दिनांक 19.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र राजकुमार निवासी म0न0 06 सिखरानी थाना लोनी गाजियाबाद को धारा 69/108 बीएनएस थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और वादी की पुत्री एक ही स्थान पर नौकरी करते थे । इसी दौरान हम दोनो की आपस मे जान-पहचान हुई तथा धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। बातचीत के दौरान हम दोनो एक दूसरे को पंसद करने लगे । और हमारे बीच प्रेम संबन्ध हो गया । प्रेम संबन्ध का अदिति के परिजनों को पता चलने के बाद उनके परिवार मे विवाद होने लगा जिससे वह मानसिक परेशान रहने लगी । अदिति मुझसे शादी का दबाव बना रही थी । मैं अभी शादी नही कर सकता था तो मैने शादी करने से मना कर दिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :-

1. सचिन कुमार पुत्र राजकुमार निवासी म0न0 06 सिखरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्तगण के विरूद्ध 01 अभियोग शादी का झांसा देना/आत्महत्या के लिए उकसाना का अभियोग थाना साहिबाबाद गा0बाद पर पंजीकृत है ।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 18.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी याकीन शाह पुत्र स्व0 फकीर शाह निवासी ग्राम भोजपुर थाना फेजगंज वेहटा जिला बदायूं हाल पता इलाइचीपुर रोड फेस टू रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्त नाजिम निवासी इलाइचीपुर रोड फेस टू रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र शमशाद के साथ मारपीट की गई व बाद मारपीट परिजन उसे घर ले गये जहाँ उसकी तबियत बिगडने पर उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सक द्वारा शमशाद को मृत घोषित कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-105 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र सलीम निवासी लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी जिला संभल हाल पता इलाइचीपुर रोड फेज 2 राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदि हूँ। दिनांक 17.08.2026 को शाम के समय मैं अपने घर जा रहा था। रास्ते मे मुझे शमशाद अली मिला उसने नशे में होने के कारण मेरी साइकिल में लात मार दी थी इसी बात को लेकर मेरे व शमशाद अली में मारपीट व झगडा हो गया था। झगडे के समय शमशाद

अली के परिवारीजन मौके पर आ गये थे और बीच बचाव करवाया था। जब मुझे पता चला कि शमशाद अली मर गया है तथा उसके परिजन मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे है तो मैं डर की वजह से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नाजिम पुत्र सलीम निवासी लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी जिला संभल हाल पता इलाइचीपुर रोड फेज 2 राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.08.2026 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. शुभम उर्फ वाटसन पुत्र कपिल त्यागी 2. वासु शर्मा पुत्र जसवीर शर्मा 3. मनीष शर्मा पुत्र सोमदत्त शर्मा 4. यश त्यागी पुत्र विकास त्यागी निवासीगण ग्राम सारा थाना निवाडी गाजियाबाद द्वारा वादी व वादी के भतीजे, भाई व अन्य लोगों के साथ एकराय होकर जान से मारने की नीयत से अवैध पिस्टल से फायरिंग करना व मारपीट करते हुए गाली देना । तहरीर के आधार पर तत्काल थाना निवाडी पर धारा 109(1)/333/352/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.08.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वासु शर्मा पुत्र जसवीर शर्मा को नहरपुल निवाडी से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा- 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि जोनी त्यागी व उसके भतीजे के साथ हमारी कहासुनी हुई थी। उसके उपरान्त मैं व मेरे साथियों शुभम, मनीष शर्मा, यश त्यागी उपरोक्त द्वारा जोनी त्यागी व उसके भतीजे आकाश उर्फ हैप्पी के साथ एकराय होकर मारपीट व गाली गलौज की थी तथा मैंने जाते समय हवाई फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वासु शर्मा पुत्र जसवीर शर्मा निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मोदीनगर पर बलवा से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद।

दिनांक 18.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के घर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के वाहन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. राजा खान 2. अयान चौहान को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से वादी की चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल व दिल्ली क्षेत्र से चोरी की गई 02 अन्य मोटरसाइकिल तथा मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण व बाल अपचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम तीनों मिलकर वाहन चोरी की घटना करते है। हम तीनों मोटरसाइकिल चोरी करने हेतु घूम फिरकर रेकी करते है तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल की चोरी कर लेते है। चोरी की मोटरसाइकिल को जंगल व घनी झाड़ियां में छिपा देते है और मौका देखकर वाहन को अपने 02 अन्य साथियों इकराम अल्वी व अमित आलम को बेच देते है तथा जो पैसे मिलते है उससे अपने शौक पूरे करते है। हमसे जो 03 मोटरसाइकिल बरामद हुयी हैं उसमें से 01 मोटरसाइकिल हमने ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी की थी। इसके अतिरिक्त बरामद अन्य 02 मोटरसाइकिल हमने दिल्ली क्षेत्र से चोरी की थी। हम लोग इस मोटरसाइकिल को इकराम अल्वी व अमित आलम को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. राजा खान पुत्र मौ० मुस्तफा निवासी बदरपुर यमुना सिटी थाना ट्रोनिका सिटी कमि० गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अयान चौहान पुत्र शाहिर चौहान निवासी पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पुट्ठी धनौरा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. **बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष (अभिरक्षा में)**

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

1. इकराम अल्वी 2. अमित आलम

बरामदगी का विवरण –

चोरी की 03 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। पूर्व में थाना शास्त्रीपार्क दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग, थाना उस्मानपुर दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.08.2026 को शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान एक मोटरसाईकिल लाल कुआ की और से आती दिखायी दी जिस पर दो लडके सवार है। मोटरसाईकिल सवार दोनो लडकों को रोकने का प्रयास किया तो मोटर साईकिल सवार लडके मोटर साईकिल मोडकर भागने लगे हडबडाहट मे मोटर साईकिल बंद हो गयी। जिसके बाद अभियुक्तगण 1. अजय सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 राधे का मकान नंदनगरी थाना हर्ष विहार नई दिल्ली उम्र 19 वर्ष 2. कुनाल पुत्र रमेश नि0 राधे का मकान नंदनगरी थाना हर्ष विहार नई दिल्ली उम्र 18 वर्ष को मुखर्जी पार्क के सामने चौकी औद्योगिक क्षेत्र थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अजय सिंह ने पूछताछ में बताया कि मैने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से कुछ दिनों पहले चोरी की थी। तथा ग्राहक मिलने पर इनको हम अपनी मजबूरी बताकर बेच देते हैं। आज हम इसे बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त कुनाल ने भी अभियुक्त अजय की बात का समर्थन किया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. अजय सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 राधे का मकान नंदनगरी थाना हर्ष विहार नई दिल्ली उम्र 19 वर्ष
2. कुनाल पुत्र रमेश नि0 राधे का मकान नंदनगरी थाना हर्ष विहार नई दिल्ली उम्र 18 वर्ष

बरामदगी

1. एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में व 01 अभियुक्ता गिफ्तार, कब्जे से अवैध 02 तमन्चे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट का लैपटॉप, मोबाइल फोन पैन कार्ड, 04 डेबिट कार्ड, एक आईडी कार्ड व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 02.08.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि एक्सप्रेस-वे पर वादी द्वारा एक कार से लिफ्ट मांगी गई थी, लिफ्ट देने के उपरान्त कार सवार 03 व्यक्तियों द्वारा वादी से वादी का मोबाइल, लैपटॉप व पर्स लूट लिया गया। जिसके सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त कर थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा- 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 19.08.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. सागर खान पुत्र मौ0 यासीन निवासी न्यू कोडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली 2. शिवम उर्फ विष्णु उर्फ डमरू पुत्र सुनील श्रीवास्तव निवासी महामेगा रेवती कालोनी थाना सूरजपुर नोयडा मूल पता ग्राम चकरपासपुर PGI आजमगढ़ को थाना भोजपुर क्षेत्र से पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में व 01 अभियुक्ता कविता पत्नी मन्नू निवासी ग्राम खानपुर थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध 02 तमन्चे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर, लूटा गया लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, पैन कार्ड, 04 डेबिट कार्ड व एक आईडी कार्ड व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई । पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 109(1)/3(5)/345(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का 01 अन्य अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अपनी कार से जा रहे थे कि रास्ते में एक यात्री ने हमसे काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद के लिए लिफ्ट मांगी हमने उसे बैठा लिया था, रास्ते में उसके पास कीमती सामान देख हमें लालच आ गया था । हमने उससे लैपटॉप व मोबाइल फोन व उसका पर्स लूट कर रास्ते में गाडी से उतार दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.सागर खान पुत्र मौ0 यासीन निवासीन्यू कोडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष ।

2.शिवम उर्फ विष्णु उर्फ डमरू पुत्र सुनील श्रीवास्तव निवासी महामेगा रेवती कालोनी थाना सूरजपुर नोयडा मूल पता ग्राम चकरपासपुर PGI आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष ।

3. कविता पत्नी मन्नू नि0 ग्राम खानपुर थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 43 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से अवैध 02 तमन्चे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर, लूट का लैपटॉप, मोबाईल फोन, पैन कार्ड, 04 डेबिट कार्ड व एक आईडी कार्ड व एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 01 अभियोग लूट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।